न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :–148 / 2023

1. हबीबखां पुत्र मनूखां जाति मुसलमान निवासी खाजूवाला

..... प्रार्थी

बनाम

1. लेखराम पुत्र दयाचन्द जाति सिंधी निवासी खाजूवाला
2. मुकेशकुमार पुत्र हनुमानाराम जाति बिश्नोई निवासी खाजूवाला
3. सुखविन्द्रसिंह पुत्र प्रीतमसिंह जाति जटसिख निवासी खाजूवाला
4. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला ।

.... अप्रार्थीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 111,128 एलआरएक्ट

दिनांक :– **09.02.24**

–: आदेशः–

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थी के नाम चक 1 बीआरडब्ल्युएम मु0नं0 101 / 23 में 0.8347 है0 भूमि रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें 1 / 2 हिस्सा दर्ज है। प्रार्थीया तहसीलदार खाजूवाला के क्रमांक भू0अ0 2023 / 2021 दिनांक 20.07.23 के आदेश पर दिनांक 31.07.23 तहसीलदार महोदय सीमाज्ञान पैमाईश की गई जिसमें प्रार्थी सीमाज्ञान से संतुष्ट है। सीमाज्ञान पैमाईश के आदेश अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है। सीमाज्ञान पैमाइश के आधार पर पत्थरगढी के आदेश का निवेदन किया गया है।

प्रकरण सीमाज्ञान (सीमाविवाद) का है इसलिए न्यायालय हाजा में धारा 111,128 एलआरएक्ट दर्ज किया गया। अप्रार्थीगण को तलवी नोटिस जारी किये गए। जिसपर अप्रार्थी सं0 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुभाष बिश्नोई उपस्थित आये किन्तु जवाब अनेक अवसर उपरान्त जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी सं0 2 की ओर से अधिवक्ता श्री भीमसिंह डुकिया ने जवाब प्रस्तुत किया जिसका विवरण इसप्रकार है कि अप्रार्थी मुकेशकुमार ने चक 1 बीआरडब्ल्युएम में मु0नं0 101 / 23 में किला नं0 1 ता 9, 14 में कुल 2.2761 है0 कमाण्ड व मुरब्बा नं0 101 / 24 में किला नं0 4 / 2, 5 / 2, 6 कुल 0.1644 है0 कमाण्ड दोनो का योग कुल 2.4405 है0 कमाण्ड भूमि जरिये रजिस्ट्री से वर्ष 2019 में अर्पिता से खरीदकर मौके पर काबिज सीमा निशान पर कब्जा प्राप्त किया तब से अप्रार्थी मुकेशकुमार लगातार सीमांकन स्थान पर काबिज कास्त है। मुरब्बा नं0 101 / 23 के किला नं0 1 ता 9, 14 में कुल 2.2761 है0 कमाण्ड भूमि कालूखां को 45 वर्ष पूर्व आवंटन के रोज सीमा निशान देहीता देकर आवंटन किया था। कालूखां ने मुरब्बानं0 101 / 23 के किला नं0 1 ता 9, 14 में कुल 2.2761 है0 कमाण्ड भूमि को आवंटन सीमा काबिज निशान से अप्रार्थी मुकेशकुमार को बेचान की है। आवंटन के समय मुरब्बा नं0 101 / 1 व मुरब्बा नं0 101 / 57 व मुरब्बा नं0 101 / 8 व

मुरब्बा नं0 101/64 में ब्लॉक पत्थर लगाकर प्रत्येक मुरब्बे में पत्थरगढी कर सीमा निशान पर आवंटन किया गया था। मुरब्बाा नं0 101/23 में किला नं0 1 ता 9, 14 में कुल 2.2761 है0 कमाण्ड भूमि पर आवंटनकर्ता से वर्तमान अप्रार्थी मुकेशकुमार सीमांकन स्थान पर ही काबिज कास्त है। मु0नं0 101/23 में किला नं0 10/2, 12/2, 13, 18/2, 23/2, 24/3 कीं 0.8347 है0 कमाण्ड भूमि पूनमचन्द ने आवंटन कराकर प्रार्थी हबीबखां व उसके भाई प्रत्येक को 1/2 हिस्सा बराबर बेचान वर्ष 2022 किया था। प्रार्थी हबीबखां को पूनमचन्द से काबिज स्थान की सीमा निशान पर मापकर कब्जा लेकर बैयनामा करवाना था। क्योंकि पूनमचन्द के आवंटन किला में से नहर निकली हुई है। प्रार्थी हबीबखां का हिस्सा किस तरफ काबिज है उक्त सीमा रिपोर्ट व प्रार्थनापत्र पर काबिज हिस्सा अंकित नहीं है। इसलिए सीमांकन रिपोर्ट व प्रार्थनापत्र पत्थरगढी खारिज योग्य है। हबीबखां के सीमा पैमाईस के प्रार्थनापत्र दिनांक 20.07.23 पर ना तो हल्का पटवारी द्वारा पैमाईस के नियमों का पालन किया गया है किसान की बीच फसल सीमा पैमाईस नहीं की जा सकती है। सीमा पैमाईस फसल कटान मई या दिसम्बर महीने में की जाती है इसलिए सीमांकन रिपोर्ट व प्रार्थनापत्र पत्थरगढ़ी खारिज योग्य है। हबीबखां के सीमा पैमाईस के प्रार्थनापत्र दिनांक 20.07.23 के तहत हल्का पटवारी द्वारा संबंधित कास्तकारों को नोटिस देकर सुचित किया जाता है पर हल्का पटवारी ने संबंधित कास्तकारों व अप्रार्थी मुकेशकुमार को नोटिस जारी नहीं किया ना ही सूचित किया। नाही सरपंच, ग्राम के मौजिज व्यक्ति, स्वतन्त्र गवाह, पक्षकार की उपस्थिति हल्का पटवारी द्वारा पैमाइस रिपोर्ट बनाई है। हल्का पटवारी ने सीमा पैमाइस रिपोर्ट दिनांक 31.7.23 संबंधित कास्तकारों व अप्रार्थी मुकेशकुमार की मौजुदगी में नहीं की है। हल्का पटवारी द्वारा की गई सीमा पैमाइस रिपोर्ट में भी संबंधित कास्तकारों व अप्रार्थी मुकेशकुमार की उपस्थिति व हस्ताक्षर अंकित नहीं है। केवल खुद हल्का पटवारी के व एक अन्य श्रीचंद पटवारी हस्तारक्षर अंकित है। इसलिए सीमांज्ञान रिपोर्ट व प्रार्थनापत्र पत्थरगढी खारिज योग्य है। सीमा पैमाइस रिपोर्ट दिनांक 31.7.23 में पैमाइस मुरब्बा नं0 101/38 के किला नं0 1 को आधार मानकर जीपीएस से पैमाइस बताई गई है। जो हल्का पटवारी द्वारा भू राजस्व अधिनियम के नियमों का उल्लंघन कर ब्लॉक पत्थर से माप नहीं करके हबीबखां के अनुसार स्थान को आधार मानकर सीमा पैमाइस रिपोर्ट तैयार की है। चक 1 बीआरडब्ल्युएम में मु0नं0 101/23 का ब्लॉक पत्थर सीमा माप मुरब्बा नं0 101/1 व मुरब्बा नं0 101/57 व 101/8 व 101/64 के ब्लॉक पत्थर को नापकर पत्थरगढी कर सीमा निशान पर आवंटन किया गया था। हल्का पटवारी ने ब्लॉक पत्थर को सीमा निशान नहीं मानकर भू राजस्व अधिनियम के नियमों का उल्लंघन किया है। भू राजस्व अधिनियम के नियमों के तहत सीमा पैमाइस जरीब से ही मान्य है हल्का पटवारी द्वारा सीमा पैमाइस जरीब से नहीं की गई है। ना ही हल्का पटवारी द्वारा पूर्व में सर्वेक्षण नक्शों को आधार माना है पूर्व सर्वे मानचित्र उपलब्ध थे पर पूर्व सर्वे मानचित्र को हल्का पटवारी ने नहीं माना । ना ही वास्तविक कब्जा का आधार माना है। नाही सीमा पैमाइस रिपोर्ट में किस पक्ष कब्जा है अंकित नहीं किया है ना ही कौनसा पक्षकार कब्जे का सर्वोत्तम हकदार है अंकित किया है ना ही सीमा पैमाइस रिपोर्ट में पैमाइस नक्शा बनाया है। नाही सीमा पैमाइस की विडियो ग्राफी करवाई है हल्का पटवारी द्वारा आसपास पडौसी कास्तकारों को नोटिस दिया जाना

आवश्यक है पर नोटिस भी नहीं दिया है केवल पैमाइस रिपोर्ट में मुरब्बा नं0 101/23 में किला नं0 10/2, 12/2, 13, 18/2, 23/2, 24/3 कीं 0.8347 है0 कमाण्ड भूमि को निशान देहीता देना बताया है। उत्तर, दक्षिण,पूर्व,पश्चिम किस किस्तकार की तरफ किस किला में निशान देहिता दी गई है नही बताया गया है। क्योंकि सीमा पैमाइस रिपोर्ट में मुरब्बा नं0 101/38 को आधार मानकर चले है जो अप्रार्थी मुकेशकुमार के मुरब्बा के मु0नं0 101/23 के पूर्व में पड़ता है पैमाइस माप पूर्व से पश्चिम की तरफ किया गया है इसलिए प्रार्थी हबीबखां की जमीन माप पूर्व से पश्चिम की तरफ जाना चाहिए पश्चिम में नहर है इसलिए निशान देहीता की बाउण्ड्री किस दिशा में दी गई हल्का पटवारी ने जानबुझकर नहीं बताई है ना ही नक्शा अंकित किया है बाउण्ड्री के बारे में तय करना चाहिए की बाउण्ड्री कौनसे किला में कहां स्थापित है आवंटन सर्वे पैमाइस में सीमा मानचित्र में कहां निर्धारित थी वर्तमान सीमा पैमाइस रिपोर्ट में अंकित नहीं है केवल गुमराह करके मन माफिक अप्रार्थी मुकेशकुमार के किलों में पत्थरगढी करने के लिए सीमा पैमाइस गलत रिपोर्ट पेश की है। हल्का पटवारी ने सीमा ज्ञान का कार्य तार्किक रूप से अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया है इसलिए सीमांकन रिपोर्ट व प्रार्थनापत्र पत्थरगढी खारिज योग्य है। उक्त सीमा पैमाइस रिपोर्ट में हल्का पटवारी द्वारा सीमा चिन्न अंकित नहीं बताया गया है भू राजस्व अधिनियम की धारा 128 के तहत सीमा चिन्हो के अभाव हो तो सुनवाई करे पर ब्लॉक पत्थर मौजुद होते हुवे भी गलत सीमा रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा दी गई है सीमा रिपोर्ट में कोई विवाद कास्तकारों के बीच नहीं बताया है इसलिए क्षेत्र तहसीलदार को प्राप्त है। यह प्रार्थी हबीबखां द्वारा धारा 111,128 एलआर एक्ट का प्रार्थनापत्र विरूद्ध वगैर पक्ष के पेश किया गया है कास्ताकारों के विरूद्ध उनके मुरब्बों पर बिना पक्षकार बनाये भू राजस्व अधिनियम के नियमों के विरूद्ध गलत रिपोर्ट के पर पत्थरगढी का प्रार्थनापत्र कुसयोजन से ग्रस्त होने के कारण काबिल खारिज है। चक 1 बीआरडब्ल्युएम मु0नं0 101/23 में किला नं0 1 ता 9, 14 में कुल 2.2761 है0 कमाण्ड भूमि कालूखां को 45 वर्ष पूर्व आवंटन के रोज सीमा निशान देहीता देकर आवंटन किया था। कालूखां ने अर्पिता को बेचान कर दी। अर्पिता ने अप्रार्थी मुकेशकुमार को बेचान की है। 45 वर्ष से उसी सीमा निशान पर काबिज कास्त है जिसकी खसरा गिरदावरी में कास्त का इन्द्राज पटवारी द्वारा जब दौरा कर बनाई जाती है इससे भी अप्रार्थी मुकेश कुमार को सीमा संबंधि रिकॉर्ड ऑफ राईट प्राप्त है जिसमें प्रार्थी हबीबखां किला में परिवर्तन करवाने का अधिकारी नहीं है जबकि पूनमचन्द का आवंटन करीब दस साल का है उसने कभी भी कास्त नहीं की है। नाही खसरा गिरदावरी में कास्त का इन्द्राज है इसलिए प्रार्थी हबीबखां को सीमा संबंधि रिकॉड ऑफ राईट प्राप्त नहीं है। प्रार्थी हबीबखां का प्रार्थनापत्र पत्थरगढी का खारिज फरमाया जावे। पत्रावली पर सुना गया।

पत्रावली का अध्ययन व उपलब्ध दस्तावेजों व जवाब का अवलोकन किया गया । तहसीलदार खाजूवाला से चक 1 बीआरडब्ल्युएम मु0नं0 101/23 के किला नं0 10/2, 12/2, 13, 18/2, 23/2, 24/3 कीं 0.8347 है0 का पुनः नियमानुसार सीमाज्ञान करवाया जाना न्यायोचित है। अतः तहसीलदार खाजूवाला को आदेश दिया जाता है कि वह चक 1 बीआरडब्ल्युएम मु0नं0 101/23 के किला नं0 10/2, 12/2,

13, 18/2, 23/2, 24/3 कीं 0.8347 है0 के सीमाज्ञान हेतु पटवारीगण मय पुलिस जाब्ता टीम बनाकर संबंधित पक्षकारों सुनवाई समुचित अवसर देकर संबंधित काश्तकारों की उपस्थित में सीमाज्ञान करवाकर निशानदेही दी जावें एवं दी गई निशानदेही पर पत्थरगढ़ी नियमानुसार करवाई जावें। तहसीलदार खाजूवाला को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)